

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिडवा जिला झालवाड राज0

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत।

महोदय ,

निवेदन है कि ग्राम खांगरिया जमाबंदी सं बन्धायी के खाता सं 72 में दर्ज खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिस्सा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज/त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

भू प्रबंध खतौनी खाता सं.	भू प्रबंध खतौनी अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं.	वर्तमान इन्द्राज/ त्रुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	5
72	कालू पुत्र मैरू हिस्सा 1/2 जाति-चगाड सा.देह रामचन्द्र पुत्र मैरू हि. 1/2 जाति चगाड सा.देह	72	चगाड	मेधकाल

- वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण
1. का सुहात
  2. ....
  3. ....
  4. ....
- अभि रघनपुत्र

- हस्ताक्षर
1. का सुहात नि.दे.का
  2. श्रीकीम सा. गोपल सिंह  
जाति राजपूत  
श्रीकांत

रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम खांगरिया के राजस्व रिकार्ड वी जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदानुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।

हस्ताक्षर पटवारी

रिपोर्ट भू0अभिलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।



अभि रघनपुत्र

भू0अभिलेख निरीक्षक  
40301-30-16  
40301-30-30

ग्रामीण सेवा शिप्टिकेण्ड केंद्र

रिपोर्ट तहसीलदार/पेरोकार सरकार

क्रमांक: LR राजस्व / 2025 / 899

दिनांक 20/09/25

महोदय, जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भू0अभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम सांगरिया के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत

[Signature]  
तहसीलदार (भू0अ0)  
पुनिल (सांगरिया) / नायब तहसीलदार

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

क्रमांक: राजस्व न्यायालय / 2025 / 189

दिनांक 26/09/25

वादी/प्रार्थी के ग्राम सांगरिया के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार सुनेम की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कॉलम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सुनेम को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कॉलम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

[Signature]

उपखण्ड अधिकारी पिडावा  
जिला झालावाड राज0